क्रम-संख्या–93(क-1)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 18 जून, 2025 ई0

(ज्येष्ठ 28, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-642/दस-लाइसेंस-185/भांग की फुटकर नियमावली/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 18 जून, 2025 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0-43

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 26743/दस-लाइसेंस-185/2018-2019, दिनांक 29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)

(चर्तुथ संशोधन) नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (चर्तुथ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक **06 फरवरी, 2025** से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2. नियम का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली**,** 2019 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है**,** में**,** नीचे स्तम्भ-**1** में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा**,** अर्थात् :–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ-2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2-परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावलवी में –	2-परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में -
(क) ''अधिनयम''का तात्पार्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त आबकारी अिधिनयम, 1910 से है;	(क) ''अधिनियम''का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) ''वार्षिक यूनतम प्रत्याभूत मात्रा''का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामन्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिाकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलो ग्राम में) से है तथापि यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष के शेष दिनांक की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलो ग्राम में) से है । तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष के शेष दिनांक की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) ''भागं'' का तात्पर्य भागं के पौधे (कैनेबिस सटेाइवा) की पत्तियों एवं छोटे-छोटे डन्ठलों से है जो भांग केनाम से जाना जाता है;	(ग) ''भांग'' का तात्पर्य भांग के पौधे (कैनेबिस **सेटाइवा**) की पत्तियों एवं छोटे-छोटे डन्ठलों से है जो भांग के नाम से जाना जाता है;
(घ) ''प्रतिफल फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है जो लाइसेंसधारी के के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, संदेय किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता हे, तो प्रतिफल फीस आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;	(घ) ''प्रतिफल फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, संदेय किया जाय। परन्तु **यह कि** यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल फीस आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड.) ''दैनिक लाइसेंस फीस'' का ताप्पर्य संपूर्ण वर्ष लिये नियत लाइसेंस फीस के 1/365 वे भाग से है;	(ड.) ''दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य संपूर्ण वर्ष **के** लिये नियत लाइसेंस फीस के 1/365 वे भाग से है;
(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यनूतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;	(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक **न्यूनतम** प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;
(छ) ''आबकारी वर्ष''का तात्पर्य 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी कलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(छ) ''आबकारी वर्ष''का तात्पर्य 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी **कैलेंडर** वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ज) ''धरोहर धनराशि''का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन समपहृत किये जाने योग्य होगी ;	(ज) **निकाल दिया गया।**
(झ) ''परिवार''का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र(पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है;	(झ) ''परिवार''का तात्पर्य दम्पत्ति(पति या पत्नी), आश्रित पुत्र(पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है;
(ञ) ''प्रपत्र''का तात्पर्य इस नियमावली के साथ के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(ञ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(ट) ''अनुक्रम''का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;	**(ट) "अधिक्रम"का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कम्प्यूटर आधारित यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से दुकान आबंटन के आधार हेतु तात्पर्यित लाइसेंस फीस के अवरोही क्रम से है।**
(ठ) ''व्यक्ति''का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;	(ठ) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(ड) ''लाइसेंस प्राधिकारी''का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;	(ड) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;
(ढ) ''लाइसेंस फीस''का तात्पर्य प्रतिफल फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व संदेय होगी;	(ढ) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल फीस के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर **अधिसूचित** संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व संदेय होगी;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ण) "प्रतिफल फीस की मासिक किस्त" का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत वार्षिक प्रतिफल फीस के 1/12 वें भाग से है, जो प्रत्येक माह संदेय होगी;	(ण) "प्रतिफल फीस की मासिक किस्त" का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत वार्षिक प्रतिफल फीस के 1/12 वें भाग से है, जो प्रत्येक माह संदेय होगी;
(त) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को 12 समान भाग में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्रापत मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी ;	(त) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को 12 समान भाग में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप **प्राप्त** मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी ;
(थ) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से सृजति ऐसे इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है, जिसपर भांग की फुटकर दुकानों व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना विहित प्रपत्र में अपलोड की जायेगी;	(थ) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से सृजति ऐसे इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है, जिस पर भांग की फुटकर दुकानों **के** व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना विहित प्रपत्र में अपलोड की जायेगी;
(द) ''प्रतिभूति धनराशि''का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के प्ररूप मे जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से संदेय होगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के बाद वापसी योगय होगी, परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व मेंनकद या राष्ट्रीय चत पत्र (एन.एस.सी.) माध्यम से ज मा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	(द) "प्रतिभूति **धन**राशि" का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल **फीस** तथा लाइसेंस **फीस के योग के** 1/6वाँ भाग से है, **जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत ई-बैंक गारंटी के रूप में अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किसी रूप अथवा रीति से जमा की जायेगी तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निपटान के पश्चात वापसी योग्य होगी।** **परन्तु यह कि नवीकरण के मामले में, नकद/ई-भुगतान अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारंटी अथवा सावधि जमा रसीद के माध्यम से पूर्व में जमा की गई प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक कि उसे वापस नहीं कर दिया जाता है।**
(ध) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी,	(ध) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए अवधारित **लाइसेंस** फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(न)''व्यवस्थापन''का तात्पर्य ई-लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस पर अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(न) **"व्यवस्थापन"का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा ई-नवीकरण, ई-लॉटरी, ई-टेंडर में से यथा विनिर्दिष्ट माध्यम से आवेदक के पक्ष में दुकानों का आबंटन और अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने पर पूरे आबकारी वर्ष या उसके एक हिस्से के लिए लाइसेंस प्रदान करने से है। अगले वर्ष के लिए दुकानों का व्यवस्थापन पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जा सकता है;**
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके लिए समानुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके लिए समानुदेशित हों।

3. नियम-3 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3- फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन-	3- फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन-
(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए भांग की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली अथवा ऑफर आमंत्रण द्वारा आनलाइन व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।	**(क) इस नियमावली के उपबंधों और लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति राशि के भुगतान के अध्यधीन, परिसर के बाहर उपभोग के लिए भांग की खुदरा बिक्री के लिए नियम-10 के अनुसार चयनित आवेदक के पक्ष में लाइसेंस प्रदान करके व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा।**
(ख) भू-गृहादि के बाहर व्यक्तिगम उपभोग के लिऐ किसी व्यक्ति को भांग की अबक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र एच.एम.-1 में स्वीकृत किया जायेगा।	**(ख) परिसर के बाहर उपभोग के लिए भांग की खुदरा बिक्री के लिए इस नियमावली के अधीन दिया गया लाइसेंस, प्रपत्र एच.एम.-1 में होगा।**
(ग) भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रूप में करेगा। लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति को 120 ग्राम से ज्यादास भांग की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।	(ग) भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रूप में करेगा। **लाइसेंसधारी** को किसी भी व्यक्ति को 120 ग्राम से **अधिक** भांग की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

4. नियम-4 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4-फुटकर दुकानों की संख्या और स्थिति के निर्धारण की शक्ति- राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग एवं जियो- फेंस किया जायेगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार होगी। परन्तु राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर नई दुकानों का सृजन किया जा सकता है।	4-फुटकर दुकानों की संख्या और स्थिति के निर्धारण की शक्ति- **दुकानों की संख्या और स्थिति का निर्धारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन किया जाएगा। दुकानों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए दुकानों को जियो-टैग और जियो-फेंस किया जाएगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार होगी।**

5. नियम-5 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5- के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- लाइसेंस की अवधि- लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के लिये होगी।	5- लाइसेंस की अवधि- **लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के लिए होगी, किन्तु अगले आबकारी वर्ष हेतु लाइसेंसधारी का चयन इस नियमावली के नियम-10 के अनुसार किया जायेगा।**

6. नियम-6 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6 -लाइसेंस की स्वीकृति- इस नियमावली के उपपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानत: ई-पेंमेट प्लेटफार्म के माध्यम से तथा प्रतिभूति धनराशि को सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेंट के माध्यम से संदाय करने पर लाइसेंस जारी किये जायेंगे।	6 -लाइसेंस की स्वीकृति- **इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का समय पर भुगतान करने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा । लाइसेंस शुल्क अधिमानत: राज्य सरकार द्वारा विहित ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से जमा किया जाएगा तथा प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप एवं रीति से जमा की जाएगी।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिला में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण- पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है। परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व मेंनकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	**लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत अस्ति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति अथवा किसी अन्य जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति, जहां मूल प्रति उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा की गई हो, जहां से उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है, प्रस्तुत करे।**

7. नियम-7 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7-अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये आवेदन-	7-**लाइसेंस** स्वीकृति के लिये आवेदन-
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, के माध्यम से जिनका उस क्षेत्र में अधिकतम परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट(www.upexcise.in) के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करने के पश्चात इस निमित्त ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेंगे।	**(क) जब भी किसी नव सृजित या अव्यवस्थापित दुकान/ दुकानों का व्यवस्थापन आवश्यक हो, तो लाइसेंस प्राधिकारी उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों तथा जिले की वेबसाइट में दुकान/दुकानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से आवेदन आमंत्रित करेगा।**
(ख) भॉग की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकानवार प्रतिफल शुल्क, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, और जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।	**(ख) कलेक्टर द्वारा जिन दुकानों का लाइसेंस स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है, उनकी सूची, दुकानवार प्रतिफल शुल्क, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि सहित कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालयों, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। यह सूचना जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे। आवेदन के साथ(एक) हैसियत प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित- संप्ति प्रमाण - पत्र(दो) आधार कार्ड (तीन) पैन कार्ड(चार) गत वर्ष की आयकर विवरणी छाया प्रति और(पांच) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र (छ:) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी जो संबंधित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के मना बना हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस एवं जी.एस.टी. धनराशि व उस पर देय मूल्य संवर्धित कर/ माल और सेवा कर का भुगतान ऑनालाइन किया जायेगा।	**(ग) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र समाचार पत्रों में दिए** गए **विज्ञापन में उल्लिखित समय-सारिणी के अनुसार विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किए जाएंगे।** **प्रत्येक आवेदन के सापेक्ष आवेदक को राज्य सरकार द्वारा अवधारित दर पर गैर प्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।**
(घ) आवेदन-पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक किसी समाचार-पत्र और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किये गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।	**(घ) आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाने वाला** अंतिम **दिनांक संबंधित जिले के किसी भी समाचार पत्र और वेबसाइट में प्रकाशित विज्ञापन में विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व का नहीं होगा।**

8. नियम-8 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8-आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें-फुटकर भॉग की दकुान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी-अर्थात (क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, इच्छुक फुटकर और थोक लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के अंतरण के संबंध में एक नामनिर्देशन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार संख्या, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मृत्यु के प्रकरणों में सर्व प्रथम नामनिर्देश शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। उक्त नामनिर्देश नोटरीकृत शपथ पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।	8-**आवेदक** के लिये पात्रता की शर्तें- **लाइसेंस के लिए आवेदकों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्-** **(क) आवेदक एक व्यक्ति होना चाहिए जो भारत का** नागरिक **हो।** **भागीदारी वाली कोई फर्म या कंपनी फुटकर लाइसेंस दिए जाने के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार भांग का थोक पूर्तिकर्ता भी किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह कि लाइसेंधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है। परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती वर्षो से नवीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसों वाली दुकान के मामलों में नवीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती आवेदन नहीं देता है अथवा वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रअन्य जीवित लाइसेंसधारी के पक्ष में सम्बन्धित वर्ष हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, विहित दिनांक तक जमा करने के निर्बंधन के साथ दुकान का नवीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष की जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी। परन्तु यह और कि यदि पूर्ववर्ती वर्षों से नवीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंसधारी वाली दुकानों का नवीकरण केवल दोनों ही लाइसेंसधारियों के मध्य सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति के अभाव में नवीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।	**दुकान आबंटन के बाद आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में, लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नामनिर्देशन शपथपत्र (यदि कोई हो) में नामनिर्देशिती के रूप में उल्लिखित विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, तो नामनिर्देशन शपथपत्र में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी के रूप में बने रहने के लिए विचारित किए जाएंगे।** **परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के किसी नामनिर्देशन शपथपत्र के अभाव में, उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।**
(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।	**(ख) आवेदक की आयु आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अवधि के प्रथम दिन इक्कीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए;**
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वत: विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णत: और अन्तिम रूप से दोष मुक्त न कर दिया गया हो।	**(ग) आवेदक व्यतिक्रमी नहीं होना चाहिए या उसका नाम अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली/ विनियमावली के उपबंधों के अधीन काली सूची में नहीं होना चाहिए या आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी आबकारी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे लाइसेंस रखने से विवर्जित किया जाएगा जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पूरी तरह से और अंतिम रूप से दोष मुक्त नहीं कर दिया जाता है;**
(घ) आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा।	**(घ) आवेदक को किसी एक दुकान के लिए अपने नाम से केवल एक ही आवेदन करने की अनुमति होगी। यदि किसी आवेदक की एक ही दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं तो सभी अतिरिक्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और प्रसंस्करण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-	(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी, अर्थात:-
(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।	(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर **रखता/रखती है** अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर **सकता/सकती** है।
(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जानो की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के अनिम्न अधिकारी, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो **जाने** की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक **से** अनिम्न अधिकारी, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी के पूर्व प्रस्तुत **करेगा/करेगी** कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
(पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसति हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।	(पॉच) यह कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को **बिक्रीकर्ता** या प्रतिनिधि के रूप में **नियोजित** नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, या जो किसी संक्रामक **रोग** से पीड़ित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित शुल्क का भुगतान करने के बाद, जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि की फोटोयुक्त 'नौकरनामा' प्राप्त करेगा;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या सरकारी देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या सरकारी देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि ऋण शोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि ऋण शोधक्षम है और आवश्यक निधि **रखता/रखती** है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा **देगा/देगी**।
(आठ) यह कि आवेदक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस जारी हो जाने के पश्चात भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।	(आठ) यह कि वह **माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों और संगठित आपराधिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतग्रस्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह उपर्युक्त क्रियाकलापों में अंतग्रस्त है, तो उसे दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।**
(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।	(नौ) **यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।**
(दस) यह कि लाइसेंस धारी के रूप में चयनित हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदक साथ अपलोड किया गया है, को उसके द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	**(दस) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपात्र होगा।**
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं कयिा है।	**(ग्यारह) निकाल दिया गया;**
(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा;	(च) **निकाल दिया गया;**
(छ) लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात 48 घण्टे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जाम करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात वापस कर दिया जायेगा;	(छ) **निकाल दिया गया;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण -पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋण शोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलअुर जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण -पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिला में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण -पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है; परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गतवर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण -पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिये है, प्रतिग्राह्य होंगे	(ज) **यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी अस्ति प्रमाणपत्र का धारक है और उसके ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र / प्राधिकृत आयकर मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी संपत्ति स्वामित्व प्रमाणपत्र का मूल्य जिले में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की राशि से कम नहीं होगा;**

9. नियम-10 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. लाइसेंसधारी का चयन- (1) लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र की तैयार सूची ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये अपात्रता के कारणों के उल्लेख सहित तैयार करेगा।	10-लाइसेंसधारी का चयन **(1) (क) किसी दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन, ई-लाटरी, ई-नवीकरण तथा ई-निविदा की तीन प्रक्रियाओं में से किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट हो।** **परन्तु यह कि अधिनियम की धारा-36-क के अधीन किसी लाइसेंसधारी को लाइसेंस के नवीकरण का अधिकार नहीं होगा।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लाटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्युटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार फुटकर दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर द्वारा लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा।	**(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी वर्ष हेतु नवीकरण विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का दुकानवार चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा/एवं ई-निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा ई-नवीकरण विनिर्दिष्ट किया जाता है किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरण का अनुरोध नहीं किया जाता है अथवा लाइसेंसधारी नवीकरण हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पूर्वोलिखित ई-लाटरी अथवा/एवं ई-निविदा प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त ग्राह्य एवं अग्राह्य आवेदनों की सूची, अग्राह्यता के कारणों को वर्णित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-निविदा हेतु इस नियमावली के नियम-9 में यथाउल्लिखित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।**
(3) यदि चयनित आवेदक अपेक्षित लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी धरोहर धनराशि को जब्त करते हुये आवंटर रद्द कर देगा और राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।	**(ग) यदि दुकान का नवीकरण कर दिया गया हो और नवीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा उक्त लाइसेंस के संचालन हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/ नामनिर्देशिती को इस हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो नवीकरण हेतु जमा धनराशि, प्रासेसिंग फीस को छोड़कर विधिक वारिस को प्रतिदाय कर दिया जायेगा।** **(2) ई-लॉटरी की दशा में पात्र आवेदकों में से दुकानवार लाइसेंसधारी का चयन नियम-2(1)(ट) में यथा परिभाषित प्रत्येक श्रेणी में अधिक्रम के अनुसार देशी मदिरा दुकान, मॉडल शाप, कम्पोजिट दुकान तथा भांग की दुकान की श्रेणियों के अनुक्रम में कम्प्यूटर आधारित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा।** **(3) यदि लाइसेंसधारी का चयन ई-निविदा के माध्यम से किया जाता है तो निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिये कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा। परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं लाइसेंसधारी की म्रत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस के नामांतरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु अपात्र होगा।	**(4) संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति को सभी श्रेणी की देशी मदिरा दुकानों, मॉडल शाप, कम्पोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों सहित दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी;** **परन्तु यह कि नवीकरण/नामांतरण के मामलों में पूर्वोक्त निर्बंधन विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी के पक्ष में लागू नहीं होगा;** **परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में संपूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण किया गया हो अथवा पहले से ही व्यवस्थापित हो, वह ई-लाटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के अग्रतर आबंटन हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।** **(5) ई-लाटरी अथवा ई-नवीकरण अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति के लिये लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सारिणी एवं रीति के अनुसार जमा करना तथा समस्त अन्य विनिर्दिष्ट औपचारिकतायें पूरी करना तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपयुक्त दुकान परिसर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि लाइसेन्सधारी के रूप में चयनित व्यक्ति उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन/लाइसेंस को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठायेगा।** **(6) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए यथा स्थिति ई-लाटरी, ई-नवीकरण अथवा ई-निविदा प्रक्रिया में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।**

10. नियम-11 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-**1** विद्यमान नियम	स्तम्भ-**2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11- व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण- जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन आथवा 15 अप्रैल जो भी बाद में हो, के भीतर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें लाइसेंसधारियों के नाम और पते, दुकानों की जियो टैगिंग, दुकानवार वार्षिक न्युनतम प्रत्याभूत मात्रा, वार्षिक प्रतिफल शुल्क, प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।	11- **व्यवस्थापित** की गयी दुकानों का विवरण- **दुकान/दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में व्यवस्थापित की गई दुकान/दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा तथा लाइसेंसधारियों के नाम व पता, दुकानों की जियो टैगिंग, दुकानवार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वार्षिक प्रत्याभूत प्रतिफल शुल्क का विवरण, प्रतिभूति राशि तथा जमा की गई लाइसेंस फीस का विवरण आबकारी विभाग के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करेगा।**

11. नियम-12 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-**1** विद्यमान नियम	स्तम्भ-**2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12 -लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का संदेय- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानत: ई- पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी। परन्तु यह कि प्रतिभूति धनराशि विहित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी।	12 -लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का **भुगतान**- **यदि कोई आवेदक नियम-10 के अनुसार लाइसेंसधारी के रूप में चयनित होता है, तो उसे चयन की सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। उसे प्रतिभूति धनराशि का पचास प्रतिशत ई-लॉटरी के दिनांक से 10 कार्य दिवस के भीतर, तीस प्रतिशत ई-लॉटरी के दिनांक से 25 कार्य दिवस के भीतर तथा शेष बीस प्रतिशत ई-लॉटरी के दिनांक से 35 कार्य दिवस के भीतर विहित रीति से जमा करना होगा।** **परन्तु यह कि यदि विहित अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो 2000/- रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी । शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए विहित अवधि के अतिरिक्त केवल 15 अतिरिक्त दिन की अनुमति दी जाएगी।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा;	**परन्तु नवीकरण के मामले में, नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) या सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के माध्यम से पूर्व में जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस किए जाने तक विधिमान्य होगी।**
परन्तु यह और कि ई लाटर/इ-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	**परन्तु यह और कि यदि आवेदक विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा और समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी।** **यदि किसी दुकान का लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा किसी वर्ष के लिए नवीकृत करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो नवीकरण के लिए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि में अंतर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विहित अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।**

12. नियम-20 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20- दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन-	20- दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन-
(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल फीस(अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के संदाय पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर	**(1) यदि लाइसेंस इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार निलंबित, निरस्त या समर्पित कर दिया जाता है या किसी कारणवश उपनियम (2) के अनुसार दुकान का व्यवस्थापन होना शेष रह जाता है, तो लाइसेंस प्राधिकारी दैनिक लाइसेंस फीस एवं दैनिक प्रतिफल फीस की गणना कर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से दैनिक व्यवस्थापन हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर सकेंगे तथा उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, व्यवस्थापन कर सकेंगे।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतफिल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की 1/6 धनराशि के बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।	**प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रक्रिया ई-निविदा के लिए निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया के समान होगी। यदि लगातार दो बार प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भी विहित दायित्वों के बराबर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तो तीसरे चरण में, लाइसेन्स प्राधिकारी को राजस्व के हित में विहित दायित्वों से कम का प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार होगा।** **किसी भी स्थिति में विहित दायित्वों के 80 प्रतिशत से कम के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी दुकान के लिए दो या अधिक बराबर प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में सार्वजनिक मैनुअल लॉटरी के माध्यम से व्यवस्था किया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्था की अवधि के लिए गणना के अनुसार प्रतिभूति धनराशि भी जमा करना आवश्यक होगा।** **लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान की ऐसी व्यवस्था दो बार से अधिक की जा सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।**
(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मालमे में दुकान का मध्यसत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों लिए ई-निविदा प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार किये जायेंगे।	**(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस के निरस्तीकरण या समर्पण की स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर मध्य सत्र में दुकान का नियमित व्यवस्थापन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से निविदा/आफर आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार की जाएगी।**

आज्ञा से,

डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 642/X-License-185/Bhang Retail Rules/2025-26

Prayagraj, Dated : June 18, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of License for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019 published vide Notification No. 26743/X-Licence-185/2018-2019/dated January 29, 2019, namely :–

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF BHANG)(FOURTH AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licences for Retail Sale of Bhang) (**Fourth Amendment**) Rules, **2025.**

(2) **They shall be deemed to have come into force with effect from 06th day of February, 2024.**

2. Amendment of rule-2–In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019, hearinafter referred to as the said rules, for rule 2 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely **:–**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
2. Definitions – In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-	**2. Definitions –** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b) "Annual minimum guaranteed quantity", means the quantity of bhang (in kilogram) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for the purpose of retail sale during an Excise Year. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately according to the number of days remaining in the excise year;	(b) "Annual minimum guaranteed quantity", means the quantity of bhang (in kilogram) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for the purpose of retail sale during an Excise Year. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately according to the number of days remaining in the excise year;
(c) "Bhang" means the leaves and small stalks of hemp plant (Cannabis Sativa), known as bhang;	(c) "Bhang" means the leaves and small stalks of hemp plant (Cannabis Sativa), known as bhang;

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(d) "Consideration fee" means that part of consideration for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of bhang under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before lifting of bhang for the whole excise year or part thereof on such rates per kilogram as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time; Provided, if settlement is done in mid-session the consideration fee shall be in proportion to the remainder part of the Excise Year;	(d) "Consideration fee" means that part of consideration for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of bhang under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before lifting of bhang for the whole excise year or part thereof on such rates per kilogram as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time; Provided, **that** if settlement is done in mid-session, the consideration fee shall be in proportion to the remainder part of the Excise Year;
(e) "Daily License fee" means 1/365th part of the fixed licence fee of the whole year;	(e) "Daily License fee" means 1/365th part of the fixed licence fee of the whole year;
(f) "Daily Minimum Guarantee quantity" shall be 1/365thpart of annual minimum guaranteed quantity;	(f) "Daily Minimum Guarantee quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity;
(g) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	(g) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;
(h) "Earnest money" means the amount equal to 1/10thpart of license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	(h) "**Omitted** "
(i) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(i) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(j) "Form" means the form, appended to these rules;	(j) "Form" means the form, appended to these rules;
(k) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;	(k) **"Hierarchy" means the descending order of the license fee of shops purported to be the basis for shop allotment through the process of computer based randomization in e-lottery for selection of licensees;**
(l) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application;	(l) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application;
(m) "Licensing authority", means the Collector of the District;	(m) "Licensing authority", means the Collector of the District;

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(n) "License Fee" means the consideration fee leviable for grant of license for exclusive privilege of retail sale of Bhang under section 24 of the Act, payable by the licensee before license is granted, in addition to consideration fee, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;	(n) "License Fee" means the consideration fee leviable for grant of license for exclusive privilege of retail sale of Bhang under section 24 of the Act, payable by the licensee before license is granted, in addition to consideration fee, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;
(o) "Monthly installment of consideration fee" means 1/12thpart of the annual consideration fee fixed by the licensing authority, which shall be payable every month;	(o) "Monthly installment of consideration fee" means 1/12thpart of the annual consideration fee fixed by the licensing authority, which shall be payable every month;
(p) "Monthly minimum guaranteed quantity":- Annual minimum guaranteed quantity shall be divided in 12 equal parts. Quantity obtained as a result of these calculations shall be deemed to be monthly minimum guaranteed quantity;	(p) "Monthly minimum guaranteed quantity":- Annual minimum guaranteed quantity shall be divided in 12 equal parts. Quantity obtained as a result of these calculations shall be deemed to be monthly minimum guaranteed quantity;
(q) "Portal" means the specifically created electronic platform where on information in the prescribed form with regard to the process of settlement of retail shops of bhang shall be uploaded;	(q) "Portal" means the specifically created electronic platform where on information in the prescribed form with regard to the process of settlement of retail shops of bhang shall be uploaded;
(r) "Security amount" means 1/6th part of sum of annual consideration fee and the license fee, which shall be payable in the form of Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government; Provided in case of renewal security deposited prior in cash or through national saving certificate (N.S.C) shall be acceptable till it is not refunded;	(r) "Security amount" means 1/6th part of sum of annual consideration fee and the license fee, which shall be **deposited in the form of e-bank guarantee pledged in favour of district Excise officer or in such form or manner as may be specified by the excise commissioner and which shall be refundable after final settlement of all claims and dues of the state government:** **Provided that in case of renewal, security deposited earlier through cash/e-payment or national saving certificate or bank guarantee or term deposit receipt, shall be acceptable till it is not refunded;**
(s) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license which shall be equivalent to not less than license fee determined for any shop;	(s) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license, which shall be equivalent to not less than license fee determined for any shop;
(t) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through the medium of e-lottery at fixed fee or through the process of e-tender by inviting offer which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	(t) "Settlement" means **allotment of shops through e-renewal, e-lottery, e-tender as may be specified by the State Government in favour of the applicant and grant of licence for the entire excise year or a part thereof on completion of other formalities. Settlement of shops for the next year can be done before the end of the previous financial years;**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2)Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule 3– In the said rules, for existing rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
3- Settlement of licenses for retail sale-	3- Settlement of licenses for retail sale-
(a) Subject to the provisions of these rules and subject to the payment of license fee and security amount, the retail shop for sale of Bhang shall be settled or resettled online on the fixed fee system or by inviting offer as specified herein.	(a) **Subject to the provisions of these rules and payment of licence fee and security amount, settlement or re-settlement shall be done by granting licence in favour of the applicant selected as per rule 10 for retail sale of bhang for consumption off the premises.**
(b) The license in form H.M.-1 may be sanctioned to any person for the sale of bhang for personal consumption "off" the premises.	(b) **The licence granted under these rules for retail sale of bhang for consumption outside the premises, shall be in form H.M.-1**
(c) Bhang shall be sold in loose or in form of grounded pellets. The licensee shall not be allowed to sell more than 120 gram bhang to any person.	(c) Bhang shall be sold in loose or in form of grounded pellets. The licensee shall not be allowed to sell more than 120 gram bhang to any person.

4. Amendment of rule 4–In the said rules, for existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
4- Power to fix the number and location of retail shops- Number of shops shall be fixed by the Licensing Authority under general or specific instructions issued by the State Government or by the Excise Commissioner from time to time. The shops shall be geo-tagged and geo-fenced in order to ensure location of shops. Location of shop shall be as per the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time. Provided that the State Government or Excise Commissioner may create new shops during an excise year on demand of Licensing Authority of the district.	4- **Power to fix the number and location of retail shops-** **Number and location of shops shall be fixed by the Licensing Authority under general or specific instructions issued by the State Government or by the Excise Commissioner from time to time. The shops shall be geo-tagged and geo-fenced in order to ensure location of shops. Location of shop shall be as per the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shops Rules, 1968 as amended from time to time.**

5. Amendment of rule 5–In the said rules, for existing rule 5 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
5- Period of license- The period of license shall be for an excise year or part thereof for which the license has been granted.	**5- Period of licence-** **The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted, but the selection of licensee for next excise year shall be in accordance with the rule 10 of these rules.**

6. Amendment of rule 6 –In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
6- Grant of License- The license shall be issued on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt /Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of license: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	6- Grant of Licence- **The licence will be issued on payment of licence fee and security amount in time as per the provisions of these rules. The licence fee shall preferably be deposited through e-payment platform prescribed by the State Government and the security amount shall be deposited in the form and manner specified by the Excise Commissioner.** **It shall be necessary for the licensee to submit the original copy of solvency certificate or asset certificate issued by authorized income tax valuer or a copy certified by any other District Excise Officer where original copy has been submitted in the office of the District Excise Officer of the District from where he has been granted the license.**

7. Amendment of rule 7–In the said rules, for existing rule 7 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
7. Application for grant of license-	7. **Application for grant of licence-**
7 (a) Whenever a new license is proposed to be granted in an area or locality the Licensing Authority shall invite applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspaper having maximum circulation in that area and website of the District as well as website of the Excise Department (www.upexcise.in)	(a) **Whenever settlement of any newly created or unsettled shop/shops is necessary, the licensing authority shall give wide publicity of the shop/shops in daily newspapers under circulation in that area and website of the district and invite applications in the manner specified by the State Government.**
(b) A list of the retail shops of bhang for which the Collector proposes to grant license shall be exhibited along-with shop wise consideration fee, annual minimum guaranteed quantity, license fee, security amount and the earnest money at the Collector's office, Tehsil offices and the offices of the District Excise Officer as well as the Deputy Excise Commissioner of the Charge. This information shall also be displayed on the website of the Excise Department (www.upexcise.in) along with the website of each District.	(b) **List of shops whose license is proposed to be granted by the collector, along with shop wise consideration fee, annual minimum guaranteed quantity, licence fee, security amount shall be displayed in the office of Collector, Tehsil offices, offices of District Excise Officer and office of Deputy Excise Commissioner in-charge. This information shall also be displayed on the website of the district.**
(c) Application for grant of license shall be made online as per the time schedule advertised in newspapers. It shall be compulsory to upload a photocopy of (i) solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer (ii) Aadhar Card (iii) PAN Card (iv) Income tax return of the preceding year and (v) Affidavit in the prescribed format. (vi) Scanned copy of bank draft of earnest money issued in favor of District Excise Officer of the concerned shop of the district. Payment of processing fee and GST amount shall be made online at the rate as fixed by the State Government and Value Added Tax/Goods and Services Tax payable on the same.	(c) **Applications for grant of licence shall be submitted in the specified manner as per the time-table mentioned in the advertisement given in the newspapers**. **Non-refundable processing fee shall be paid online by the applicant against each application at the rate as determined by the State Government.**
(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than such number of days as stipulated, in the advertisement in the newspapers and the website of Excise Department (www.upexcise.in).	(d) **The last date to be fixed for receipt of application forms shall not be earlier than the date as specified in the advertisement published in any newspapers and the website of concerned district.**

8. Amendment of rule 8– In the said rules, for existing rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
8-Eligibility conditions for applicants Eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill following conditions, namely:-	**8-Eligibility conditions for applicant** **Applicants for licence shall have to fulfil the following conditions to ensure their eligibility, namely:-**
(a) be a citizen of India, but whole sale supplier of bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop:	**(a) the applicant should be an individual who is a citizen of India.**
A nomination affidavit can also be submitted by the interested retail and wholesale licensee regarding the transfer of license in which he can mention the name of his heirs/family members/close relatives, Aadhaar number, relation etc. in first, second, third etc. order of preference. In cases of death, the applications submitted as per the nomination affidavit will be considered first, otherwise action will be taken as per the rules. The said nomination will be submitted in the prescribed format in the office of the licensing authority on a notarized affidavit:	**A firm or company having partnership shall not be eligible for grant of retail licence. Similarly, wholesale supplier of bhang shall be also not eligible for holding license of any retail shop.**
Provided that in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:	
Provided further that in the case of shops with two licenses which have been renewed since previous years, if one of the licensees dies before renewal and his legal heir or nominee does not submit the application or is found unsuitable, then on receipt of the application, renewal of the shop for the concerned year in favour of the second surviving licensee will be permissible with the restriction of depositing the entire security of the shop by the prescribed date. At the end of the financial year, the security deposit of that year will be returned as per rules.	
Provided also that if the shops with two surviving licensees which are getting renewed since previous years, will be renewed only in the case of consensus between both the licensees for renewal. In the absence of consensus, renewal will not be permissible.	

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(b) be above twenty-one years of age at the time of making application;	
(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license;	**No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, the names of legal heirs/family members/ close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) submitted by licensee, if otherwise not ineligible, shall be considered to continue as the licensee for the remaining period of the license, in accordance with the priority mentioned in the nomination affidavit:** **Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the licence for the remaining period of the licence;** **(b) applicant should be above twenty-one years of age on the first day of the period for receiving application;** **(c) the applicant should not be a defaulter or his name should not be blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions of the Act or the rules/regulations made thereunder. Any person who has been convicted of any excise offence shall be debarred from holding a licence unless he is fully and finally acquitted by a competent Court;**
(d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop.	**(d) the applicant shall be allowed to make only one application in his own name for any one shop. If more than one applications for the same shop of an applicant is found then all additional applications shall be cancelled and the processing fee shall be forfeited;**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:-	(e) **the applicant shall** submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time;	(i) that he/**she** possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time;
(ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;	(ii) that his/**her** proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;	(iii) that he/**she** and his/**her** family members possess good moral character and have no criminal background **and** have **not** been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;
(iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license;	(iv) that in case **he/she is selected** as licensee he/**she** will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district of which he/**she** is resident, showing that he/**she** as well as his/**her** family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license;
(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer;	(v) that **he/she** shall not employ as salesman or representative any person who has any criminal background **or who is** suffering from any infectious diseases or is below **21** years of age or a woman. **The licensee shall obtain from the District Excise Officer a 'Naukarnama' bearing photograph of the his/her authorized salesman/ representative after payment of fees as determined by the State Government from time to time;**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;	(vi) that he/**she** is not in arrear of any public dues or Government dues;
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required;	(vii) that he/**she** is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required;
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled;	(viii) that **he/she** is not **actively involved,** in mafia activities, anti-social activities and organized **criminal** activities. If **even** after **obtaining the** licen**c**e, it is proved that he/**she** is involved in **the above mentioned activities, then the license grated to him should be** cancelled;
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license;	(ix) that applicant is not a **registered** advocate with **the** Bar Council. If **after obtaining the licence,** he is found **to be a registered advocate with the Bar Council, then the licence granted to him should be cancelled**.
(x) that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection;	(x) **an employee of the Central Government or any State Government shall also be ineligible to submit an application for grant of licence;**
(xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase;	(xi) **Omitted;**
(f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government;	(f) **Omitted**
(g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues;	(g) **Omitted**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license: Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	(h) **That the applicant is a holder of a Solvency Certificate or a asset Certificate issued by an authorised Income Tax valuer and the value of his/her Solvency Certificate/Property Ownership Certificate issued by an authorised Income Tax valuer shall not be less than the amount of licence fee determined for grant of licence of the applied shop in the district.**

9. Amendment of rule 10–In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
10- Selection of licensee (1) Licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.	10- Selection of licensee **(1)(a) The licensee for a shop shall be selected from amongst the three processes of e-lottery, e-renewal and e-tender whichever is/are specified by the State Government for that particular year:** **Provided that there shall be no right to a licensee for renewal of licence under section 36-A of the Act.** **(b) In case e-renewal is not specified by the State Government for a particular year, the shop wise selection of licensee shall be made through the process specified by the State Government through e-lottery or/and e-tender by inviting online applications. If e-renewal is specified by the State Government but renewal is not requested by the licensee or licensee has been found ineligible for renewal, then in such case also the aforementioned process of e-lottery or/ and e-tender will be adopted. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare a list of all admissible and inadmissible applications, describing the reasons of inadmissibility and shall up this list before the District level Committee of licensing as mentioned in rule 9 of these rules for e-lottery and e-tender.**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
	(c) If the shop has been renewed and if the licensee dies after depositing the renewal fee and none of his legal heirs or nominees apply for the operation of the said license or if the legal heir/nominee are not found eligible for the purpose, the amount deposited for renewal except processing fee, shall be refunded in favor of the legal heir.
(2) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the descending order of earnest money of retail shop as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two bhang shops shall be allotted in favour of an applicant in the district.	**(2) In case of e-lottery, the shop wise licensee shall be selected from amongst the eligible applicants through computer based randomization process in sequence of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops categories as per the hierarchy in each category as has been defined in rule 2(1)(k).**
(3) In case, the selected applicants does not deposit the required license fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.	**(3) In the selection of licensee is done through e-tender, the process of inviting tender/offer shall be specified by the State Government.**
(4) In case, no application is received for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government: Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licencee as per the criteria laid down by the State Government: Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.	**(4) Not more than two shops including all categories of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops shall be allotted to any person in the entire State:** **Provided that the aforesaid restriction shall not apply in matters of renewal/ mutation in favour of legal heir/family member/close relative:** **Provided further that in case two or more shops are renewed or already settled in the State in favour of an applicant, he/she shall not be eligible for further allotment of shops through e-lottery/e-tender.**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
	(5) It shall be mandatory for the person selected as licensee through e-lottery or e-renewal or e-tender to deposit licence fee and security within the time schedule and in the manner specified by the State Government and, complete all other specified formalities and make arrangement for appropriate shop premises within the specified time period. In case the person selected as licensee does not comply with the above, the licensing Authority shall cancel the allotment/ licence and shall take necessary steps for the resettlement of the shop as specified by the State Government. **(6) In case there is no application for a particular shop in e-lottery or e-renewal or e-tender process as the case may be, or no candidate is found suitable for the shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as specified by the State Government.**

10. Amendment of rule 11–In the said rules, for existing rule 11 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
11. Statement of settled shops-11- A statement of the settled shops along-with names and addresses of the licensees, geo tagging of shops, shop-wise annual minimum guaranteed quantity, details of annual consideration fee, security amount and license fee deposited shall be sent by the District Excise Officer to the Excise Commissioner within 15 days of the settlement or by 15th April, whichever is later, and the details of the same shall be entered into the prescribed register besides being uploaded on the website of the Excise Department (www.upexcise.in).	**11. Statement of settled shops-** **After the settlement of the shop/shops, the District Excise Officer shall send the details of the shop/shops settled within the period specified by the Excise Commissioner to the Excise Commissioner and shall upload the details of the names and addresses of the licensees, geo-tagging of the shops, shop-wise annual minimum guaranteed quantity, detail of annual guaranteed consideration fee, security amount and licence fee deposited, on the specified portal of the Excise Department.**

11. Amendment of rule 12–In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
12-Payment of License fee and Security amount– In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment:	12-**Payment of License fee and Security amount**– **If an applicant is selected as a licensee as per rule 10, he/she shall compulsorily deposit the entire amount of licence fee within three working days of receipt of information of his/her selection. He/she shall deposit fifty percent of the security amount within 10 working days from the date of e-lottery, thirty percent within 25 working days from the date of e-lottery and the remaining twenty percent within 35 working days from the date of e-lottery in the prescribed manner:**
Provided that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day shall be imposed. Only a period of 15 days shall be allowed to deposit security amount along with penalty:	Provided that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day shall be imposed. Only **15 additional days shall be allowed in over and above of the prescribed period for depositing the security amount along with penalty.**
Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:	**But in case of renewal, the security deposited earlier in cash or National Savings Certificate (NSC) or Fixed Deposit Receipt or through Bank Guarantee shall be valid till it is refunded:**
Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.	**Provided further that if the applicant fails to deposit the licence fee or security amount within the prescribed time period then his/her selection shall be cancelled by the licensing authority and all the deposited amounts shall be forfeited.** **If the licence of a shop is specified to be renewed by the State Government for any year then the difference in the licence fee and security amount for renewal shall be deposited within the prescribed period as specified by the State Government.**

12. Amendment of rule 20–In the said rules, for existing rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
20- Interim Settlement of shop- (1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer	**20- Interim Settlement of shop-** **(1) If the licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if for any reason the shop is yet to be settled as per sub-rule.**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration fee involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority, but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.	**(2) Then the licensing authority may, after calculating the daily license fees and the daily consideration fee, obtain daily settlement offers in the manner specified by the State Government and make the settlement on the basis of the highest offer for a maximum period of 14 days or till the date of regular settlement, whichever is earlier.** **The process of receiving offers will be similar to the process of receiving tenders for e-tender. If even after seeking offers twice in a row, an offer equal to the prescribed liabilities is not received, then in the third stage, the licensing authority will have the right to accept offers less than the prescribed liabilities in the interest of revenue.** **In no case, offers less than 80 percent of the prescribed liabilities will be accepted. In case of receipt of two or more equal offers for a shop, the arrangement will be done through public manual lottery. Such licensee will also be required to deposit security amount for the period of interim arrangement as calculated.** **Such arrangement of a shop can be done more than twice by the licensing authority but in such a situation it will be mandatory to inform the Excise Commissioner.**
(2) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. Single tender shall also be accepted in the e-tender process for the shops to be settled in the mid-session. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.	**(2) In case of cancellation or surrender of a licence as per the provisions of these rules, regular settlement of the shop in mid-session will be done by the licensing authority through e-tender system by giving public advertisement as soon as possible. The procedure specified by the State Government for inviting tenders/offers through e-tender system will be completed. Single tender will also be accepted in the e-tender process for the shops to be settled in mid-session.**

By order,

DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-5 असाधारण गजट-23.05.2025-127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।